राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2966/2023
संगीता चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर डिसकोम, विद्युत भवन, ज्योति नगर।
3. शासन सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर।
4. सहायक अभियंता (Vig.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हिण्डोन सिटी, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री अंकुर श्रीवास्तव, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थिया ने आदेश दिनांक 06.10.2023 को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थिया का स्थानांतरण हिण्डोन सिटी से करौली किया गया था। इस अपील में अपीलार्थिया का मुख्य रूप से यह अभिकथन रहा है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में अपीलार्थिया का स्थानांतरण किया गया, जो विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी के उपरोक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 18.10.2023 के द्वारा अपीलार्थिया के उपरोक्त स्थानांतरण के आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी थी। उक्त स्थगन आदेश के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थिया का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही पारित किया गया है। ऐसे में प्रतिबंध अवधि के दौरान किया गया स्थानांतरण विधि विरूद्ध पारित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिये गये कथन से अपीलार्थिया के अधिवक्ता सहमत है। अपीलार्थिया का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त कथन को देखते हुए अपीलार्थिया की ओर से निवेदन किया गया है कि वह यह अपील आगे चलाना नहीं चाहती है। उनका

यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थिया के दो वर्ष की बच्ची है, इस कारण से इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहती है।

3. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थिया द्वारा अधिकरण के समक्ष दिये गये अभिकथनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपीलार्थिया द्वारा अपील विड्रो किये जाने के आधार पर अपीलार्थिया को अपील विड्रो किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.10.2023 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थिया को यह भी स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने पारिवारिक और निजी परेशानियों को अंकित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर 4 सप्ताह में आदेश पारित करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)